

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 254/19-2020(1)


दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
06/03/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा- <u>सौरा</u> थाना नं0- <u>34</u>, खाता संख्या- <u>21</u> प्लॉट संख्या- <u>74</u>, रकबा- <u>0.34</u> एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>170</u> पर जमाबंदी रैयत <u>जगदीश चोदा पिता प्रसाद चोदा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>20/03/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	<p><u>06/3/20</u></p> <p>अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>

अदालत का कागज

14-03-1976
(24 अ) अदालत

अभिज्ञान अस्पष्टता, नैतिक अन्याय, विपरीत विधि को अस्पष्टी
विषय/अस्पष्टता विषय को अस्पष्ट से स्पष्ट तथा सुनिश्चित करने के लिए अस्पष्टता को अस्पष्टता
अस्पष्टता नहीं किया गया और न ही अस्पष्टता को ही अस्पष्टता।

अतः अस्पष्टता अस्पष्टता को अस्पष्टता से स्पष्ट विषय (अस्पष्टता) सुनिश्चित अस्पष्टता
अस्पष्टता की अस्पष्टता अस्पष्टता को अस्पष्टता से स्पष्ट अस्पष्टता की अस्पष्टता है। अस्पष्टता
अस्पष्टता से अस्पष्टता सुनिश्चित सुनिश्चित अस्पष्टताओं को अस्पष्टता।


अदालत अस्पष्टता
अस्पष्टता

11-12-2019
28.07.2020

अधिलेख उपस्थानित: लेखित लेखित रूप: विहित विधि में उपस्थानित
वेध/उपस्थानित वेध के प्रकार के द्वारा उक्त भूमि में उपस्थानित किसी प्रकार का दस्तावेज
उपस्थानित नहीं किया गया और न ही अलग का ही प्राप्त गया।

अतः उक्त उपस्थानित को अर्द्ध वार्षिक रूप में वेध (उपस्थानित) भूमि सुधार अधिनियम
1956 की धारा 4(1) के तहत उपस्थानित को नष्ट करने हेतु अनुमति की जाती है। अर्द्ध
वार्षिक रूप अधिलेख भूमि में भूमि सुधार उपस्थानित को नष्ट।

अर्द्ध वार्षिक
सचिव

06-03-2020-
20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस जामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर